"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी 2007—फाल्गुन 4, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं दिनेश कुमार आत्मज श्री रामदीन राम निवासी क्वा. नं.-10/बी, सड़क-24, सेक्टर-2, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं तथा भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में टी. एण्ड डी. आर्गनाइजेशन में ओ. सी. टी. के पद पर कार्यरत हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर दिनेश कुमार सुमन कर लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे दिनेश कुमार सुमन आत्मज श्री रामदीन राम के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
दिनेश कुमार आत्मज- श्री रामदीन राम निवासी- क्वा. नं.-10/बी, सड़क-24, सेक्टर-2, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	दिनेश कुमार सुमन आत्मज- श्री रामदीन राम निवासी- क्वा. नं.-10/बी, सड़क-24, सेक्टर-2, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राजेश कुमार आत्मज श्री रामदीन राम निवासी क्वा. नं.-10/बी, सड़क-24, सेक्टर-2, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं तथा भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में आर. ई. डी.-1 विभाग में चार्जमैन के पद पर कार्यरत हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर राजेश कुमार सुमन कर लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राजेश कुमार सुमन आत्मज श्री रामदीन राम के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
राजेश कुमार आत्मज- श्री रामदीन राम निवासी- क्वा. नं.-10/बी, सड़क-24, सेक्टर-2, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	राजेश कुमार सुमन आत्मज- श्री रामदीन राम निवासी- क्वा. नं.-10/बी, सड़क-24, सेक्टर-2, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, लोक न्यास पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, बलौदा बाजार जिला रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2007

क्रमांक/8/अ.वि.अ./रीडर-1/2007.—चूंकि श्री हिम्मत लाल वर्मा पिता श्री राम वर्मा साकिन-कौडिया ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के तहत आवेदन पत्र पेश अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के प्रंजीयन के लिए निवेदन किया है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित आपत्ति/दावा न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं.

उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

इस प्रकरण की सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 06-03-2007 को समय 10.30 बजे दिन को होगी.

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम पता	:	श्री हिम्मत लाल वर्मा, प्रमुख ट्रस्टी वेदमाता गायत्री समिति पलारी तहसील-पलारी, जिला-रायपुर (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	चल संपत्ति का मूल्यांकन 4,845 रु. किया गया है.
(3)	अचल संपत्ति	:	ग्राम पलारी स्थित ख. नं. 1127 में से 0.101 हे., ख. नं. 1128 में से रकबा 0.141 हे., ख. नं. 1129 में से रकबा 0.040 हे. योग-03, 0.282 हे. पर कमरा, एक कुआं एवं पक्का बाउन्ड्री दीवाल.

आज दिनांक 18-01-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर से जारी किया गया.

धर्मेश कुमार साहू,
पंजीयक एवं अनुविभागीय
अधिकारी.

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2007

क्रमांक/383/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री राजेन्द्र बांठिया आत्मज श्री पानमल बांठिया निवासी राजातालाब, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवे. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 6-3-2007 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	"महावीर चैरिटेबल ट्रस्ट" राजातालाब, रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	कार्पोरेशन बैंक रायपुर खाता क्र. राशि 2607=00 (दो हजार छ: सौ सात)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 6 फरवरी 2007

प्रारूप-चार

[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक/77/प्र 1/अ. वि. अ./2007.—चूंकि प्रबंधक श्री मोहन लाल राठी द्वारा "महेश एजुकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट" पता 96-97, प्रथम तल आकाश गंगा काम्पलेक्स भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ .ग.) ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 का धारा 5 के अधीन अनुसूची में लौक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गयी न्यास पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06-03-07 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने का सुझाव देने का विचार रखता हो, इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं तारन प्रकाश सिन्हा, अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग एवं पंजीयक लोक न्यास दुर्ग, अपने न्यायालय में दिनांक 06-03-07 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरें समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम और पता : "महेश एजुकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट" पता 96-97, प्रथम तल आकाश गंगा काम्पलेक्स भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ. ग.)

(2) संपत्ति का विवरण : 5000.00 (रु. पांच हजार मात्र) बैंक में जमा राशि.

तारन प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.